भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1235

दिनांक 09 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में रोग

1235: श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण महिलाओं के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं और उनके बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए कोई स्वास्थ्य परिचर्या योजना भी शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजना के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें देश भर में महिलाओं सहित लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार न्यायसंगत, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक जवाबदेह और उत्तरदायी रूप से सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच + ए), संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

महाराष्ट्र सहित देश में एनएचएम के तहत किए गए विभिन्न कार्य/पहलें निम्नानुसार हैं:

- फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) [अब इसका पुनः नामकरण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) है] की स्थापना की घोषणा की। एएएम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचना के अनुसार, दिनांक 31.01.2024 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को बदलकर कुल 1,64,478 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की गई है और उनका संचालन किया गया है, ताकि सेवाओं के पूर्ण 12 पैकेज जिसमें निवारक प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक श्रृंखला शामिल हैं, जो सार्वभौमिक, नि:शुल्क और समुदाय के निकट हों।
- राष्ट्रीय नि:शुल्क औषध पहल के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन सुविधाओं तक पहुँचने के लिए सभी लोगो को जन स्वास्थ्य सुविधा के स्तर के आधार पर अनिवार्य औषधियां निशुल्क प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- नि:शुल्क नैदानिक पहलों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर नि:शुल्क अनिवार्य निदान प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षतिपूर्ति करने में सहायता उपलब्ध की जाती है।
- एनएचएम के तहत, केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर 108/102 से जुड़े कार्यशील राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) नेटवर्क के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एनएचएम के तहत, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या अबसरंचना ढांचे और मानव संसाधनों के संदर्भ में आवश्यकता-आधारित प्रयासों के लिए छूट वाले मानदंडों को अपनाया जा रहा है:

- जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानकों में 5,000, 30,000 और 1,20,000 से छूट देकर 3000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है, ताकि जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्थापित किए जा सकें।
- सामान्य क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा का मानदंडो की तुलना में, जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति बसावट एक आशा मौजूद है।

- मैदानी इलाकों में प्रति जिला 2 मोबाइल चिकित्सा खंडों (एमएमयू), की तुलना मे जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम/दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू मानक स्थापित किए गए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महाराष्ट्र सहित देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं यथा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (ईपीएमएसएमए),लक्ष्य, सुविधा आधारित नवजात देखभाल, नवजात और छोटे बच्चो की समुदाय आधारित देखभाल,माताओं का परम स्नेह (मां), निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई(एसएएएनएस), गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आरडीसीएम) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआरपी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी), रक्ताल्पता मुक्त भारत (एएमबी) और क्षमता निर्माण कार्यान्वित की गई हैं।

(घ) महाराष्ट्र राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आबंटित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
आवंटन (करोड़ रुपये में)	1790.69	1938.87	2006.38

नोट: आबंटन मूल परिव्यय/बजट प्राक्कलन के अनुसार किया गया है।

*****